

EASTERN RAILWAY

No. E.505/0/2/PLB/IV

Kolkata, dated 16<sup>th</sup> September, 2016.

All Concerned.

**Sub:-** Payment of Productivity Linked Bonus to all eligible non-gazetted Railway employees for the financial year 2014-2015.

\*\*\*\*\*

The following Copy of Railway Board's letter No. E (P&A) II-2015/PLB-4 dated 15.09.2016 (RBE No. 109/2016 ) on the above mentioned subject is forwarded for information guidance and necessary action. Board's earlier letter dated 07.10.2015 mentioned therein was circulated under this office serial circular No. 144/2015.

(S. Chakraborty)

Sr. Personnel Officer/ BGB  
for Chief Personnel Officer

Copy of Railway Board's letter No. E(P&A) II-2015/PLB-4 dated 15.09.2016 (RBE No. 109/2016) addressed to the General Managers, All Indian Railways and others.

**Sub:-** Payment of Productivity Linked Bonus to all eligible non-gazetted Railway employees for the financial year 2014-2015.

\*\*\*

Productivity Linked Bonus (PLB) equivalent to **78 (Seventy eight)** days wages without any ceiling on wages for eligibility for the financial year 2014-15 to all eligible non-gazetted Railway employees (excluding all RPF/RPSF personnel) was sanctioned vide Board's letter of even no. dt. 07.10.2015 with the condition that where wages exceed Rs. 3500/- per month, Productivity Linked Bonus will be calculated as if 'wages' are Rs. 3500/- p.m.

2. The President has now decided that the calculation ceiling of monthly emoluments for the purpose of payment of PLB shall be revised to Rs. 7000 w.e.f. 01.04.2014 i.e. for the accounting year 2014-15. Therefore, payment of PLB for the financial year 2014-15 to all eligible non-gazetted Railway employees (excluding all RPF/RPSF personnel) would be based on the wage calculation ceiling of Rs. 7000/- per month i.e. where wages exceed Rs. 7000/- per month, Productivity Linked Bonus will be calculated as if 'wages' are Rs. 7000/- p.m.

3. Therefore, in the case of eligible railway employees mentioned in Board's letter of even no. dt. 07.10.2015 who were not placed under suspension, or had not quit service/retired/expired during the financial year 2014-15 or were on leave where leave salary admissible is not less than that admissible on leave on average pay, the amount due towards Productivity Linked Bonus for the financial year 2014-15 becomes Rs. 17,951/- in stead of Rs. 8975/-.

4. Accordingly, the PLB amount to eligible non-gazetted Railway employees (excluding all RPF/RPSF personnel) for the financial year 2014-15 may be re-worked and the difference paid on priority in the same mode as payment of salary. All the other terms and conditions under which the payment was made shall remain unchanged.

5. This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.

Index No. 1051: Difference of payment of Productivity Linked Bonus (PLB) equivalent to **78 (Seventy eight)** days wages for the financial year 2014-15 to all eligible non-gazetted Railway employees (excluding all RPF/RPSF personnel) based on calculation of revised wage ceiling of Rs. 7000/-.

\*\*\*\*\*



भारत सरकार  
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. आरबीई सं. 10/2016

नई दिल्ली, दिनांक 15.09.2016

सं. ई(पी एण्ड ए)II-2015/पीएलबी-4

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,  
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि।

विषय: सभी पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2014-15 के लिए उत्पादकता संबद्ध बोनस का भुगतान करना।

\*\*\*\*\*

बोर्ड के दिनांक 07.10.2015 के समसंख्यक पत्र के तहत रेलवे के सभी पात्र अराजपत्रित कर्मचारियों (रेलवे सुरक्षा बल/रेलवे सुरक्षा विशेष बल के सभी कर्मिकों को छोड़कर) को वित्त वर्ष 2014-15 के लिए मजूरी की पात्रता की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित किए बिना 78 (अठहत्तर) दिनों की मजूरी के बराबर उत्पादकता संबद्ध बोनस (पीएलबी) को इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया था कि मजूरी ₹ 3500/- प्रति माह से ज्यादा होने की स्थिति में उत्पादकता संबद्ध बोनस की गणना इस प्रकार की जाएगी मानो 'मजूरी' ₹ 3500/- प्रति माह हो।

2. अब राष्ट्रपति ने विनिश्चय किया है कि उत्पादकता संबद्ध बोनस का भुगतान करने के लिए मासिक परिलब्धि की गणना करने के लिए अधिकतम सीमा में संशोधन करके उसे 01.04.2014 से अर्थात् लेखा-वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 7000/- किया जाएगा। अतः रेलवे के सभी पात्र अराजपत्रित कर्मचारियों (रेलवे सुरक्षा बल/रेलवे सुरक्षा विशेष बल के सभी कर्मिकों को छोड़कर) को वित्त वर्ष 2014-15 के लिए उत्पादकता संबद्ध बोनस का भुगतान प्रति माह ₹ 7000/- की अधिकतम सीमा के आधार पर मजूरी की गणना की जाएगी अर्थात् मजूरी ₹ 7000/- प्रति माह से ज्यादा हो जाने की स्थिति में उत्पादकता संबद्ध बोनस की गणना इस प्रकार की जाएगी मानो 'मजूरी' ₹ 7000/- प्रति माह हो।

3. अतः, बोर्ड के दिनांक 07.10.2015 के समसंख्यक पत्र में उल्लिखित उन पात्र रेल कर्मचारियों जो वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान निलंबित नहीं थे, या जिन्होंने सेवा नहीं छोड़ी थी/सेवा निवृत्त नहीं हुए थे/जिनकी मृत्यु नहीं हुई थी या ऐसे अवकाश पर नहीं थे जहां स्वीकार्य अवकाश वेतन स्वीकार्य औसत वेतन अवकाश से कम हो, के मामले में वित्त वर्ष 2014-15 के लिए उत्पादकता संबद्ध बोनस के तहत देय राशि ₹ 8,975/- के बदले ₹ 17,951/- बनती है।

4. तदनुसार, रेलवे के पात्र रेलवे कर्मचारियों (रेलवे सुरक्षा बल/रेलवे सुरक्षा विशेष बल के सभी कर्मिकों को छोड़कर) की वित्त वर्ष 2014-15 की उत्पादकता संबद्ध बोनस की राशि की पुनर्गणना की जाए और अंतर का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, जिस प्रकार वेतन का भुगतान किया जाता है। अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें जिनके अंतर्गत भुगतान किया गया था, अपरिवर्तित रहेंगी।

5. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

दी. 31/9/16

(एस.बालचंद्र अय्यर)  
निदेशक/वेतन आयोग,  
रेलवे बोर्ड